

पत्र-६

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, राजरामन्द जिला राजसमन्द
(पीठारीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प ..जीतावास

-: आदेश :-

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी ..जीतावास.....
व भूअ.नि. ..रेलमगरा..... की रिपोर्ट तथा तहसीलदार ..रेलमगरा..... / नायब
तहसीलदार की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम ..जीतावास..... तहसील ..रेलमगरा..... व
जिला राजसमन्द की जमाबन्दी संवत् ..2077..... में खाता संख्या ..654,335 में
वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि का निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अमल
दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1.	<u>जीतावास</u>	<u>654</u>	<u>शेरा पुत्र तलोक जाट</u>	<u>शेकलाल पुत्र तलोक जाट</u>
2.	<u>-11-</u>	<u>335</u>	<u>— " —</u>	<u>— " —</u>

श
पीठारीन अधिकारी
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी (पीठारीन अधिकारी) कलक्टर,
रेलमगरा
दिनांक :- 23/9/25

क्रमांक: 1/शप/2025/64
प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार ..रेलमगरा..... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट गिजवावे।
2. प्रार्थी श्री ..शेकलाल जाट..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

श
पीठारीन अधिकारी
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी (पीठारीन अधिकारी) कलक्टर,
रेलमगरा